SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं: 04/2022-23 **दिनांक: 17 मई 2022**

विषय: अनिवार्य जांच के अंतर्गत मसाले एवं मसाले उत्पादों के निर्यात परेषण की निर्बाधता के लिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन जांच रिपोर्ट जारी करना-बाबत

यह, चयनित देशों को अधिसूचित मसाले एवं मसाले उत्पादों के निर्यात के लिए स्पाइसेस बोर्ड से अनिवार्य जांच एवं निर्बाधता के संदर्भ में है। तदनुसार, बोर्ड, अपनी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में, संबंधित देश को निर्यात करने के लिए अनुप्रयोज्य मानकों के अनुपालन का पता लगाने के उपरांत मसालों के ऐसे परेषणों से प्राप्त नमूनों के विश्लेषण के आधार पर जांच रिपोर्ट जारी कर रहा है।

वर्तमान में, जांच रिपोर्ट बोर्ड के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्टैंप लगाया जाता है और संबंधित सीमा-शुल्क अधिकारियों से परेषण की निर्बाधता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को मौलिक हार्ड कॉपियाँ जारी की जाती हैं। इस संबंध में, बोर्ड व्यापार करने में आसानी की सुविधा हेतु, जांच रिपोर्ट की मैन्युअल रूप से हस्ताक्षरित हार्डकॉपी को **डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन जांच रिपोर्ट** से बदल रहा है। जांच रिपोर्ट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सत्यापन हेतु रिपोर्ट में एक क्यू आर कोड जोड़ दिया जाएगा।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन जांच रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पद्धति निम्नानुसार है:

- निर्यातकों द्वारा भर दी गयी सूचना के आधार पर, बोर्ड मसाले एवं मसाले उत्पादों के परेषण से नमूने प्राप्त करेगा, जिन्हें निर्यात के लिए अनिवार्य जांच एवं निर्बाधता आवश्यक होती है।
- क्यू आर कोड के साथ एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बोर्ड के निर्यात समर्थन प्रणाली (ई एस एस) में उपलब्ध कराई जाएगी। अंतरिम जांच रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि मसाले/मसाले उत्पाद निर्यात के लिए क्लियर किया गया है और अंतरिम रिपोर्ट संबंधित निर्यातक द्वारा (https://www.indianspices.org.in/ESS) से डाउनलोड किया जा सकता है।

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

- निर्यातक उन मसाले एवं मसाले उत्पादों के कंटेनर स्टफिंग के लिए संबंधित पोर्टों में अंतरिम जांच रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो निर्यात के लिए क्लियर किया गया है।
- कंटेनर स्टफिंग की पुष्टि होने पर, स्टफिंग पर्यवेक्षण के लिए सर्वेक्षक की व्यवस्था करने के लिए निर्यातक बोर्ड को एक स्टफिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- परेषणों के स्टफिंग के बाद, सर्वेक्षक बोर्ड के निर्यातक समर्थन प्रणाली में विवरण अपडेट करेगा अर्थात् स्टफिंग की तारीख, कंटेनर संख्या,सीमा शुल्क मुहर संख्या आदि।
- ई एस एस में सर्वेक्षक द्वारा अपडेट किए गए विवरण अंतरिम रिपोर्ट के साथ सम्मिलित किया जाएगा और क्यू आर कोड के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ई एस एस में उपलब्ध कराई जाएगी जो संबंधित निर्यातकों द्वारा डाउन्लोड किया जा सकते हैं।
- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन जांच रिपोर्ट जारी करने की नई प्रणाली पूरे देश में 25.05.2022 से लागू होगी।

उपर्योक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा-शुल्क प्राधिकरण निम्नलिखित को स्वीकार करें

क) क्यू आर कोड वाले अंतरिम रिपोर्ट को कंटेनर स्टफिंग की व्यवस्था के लिए एक वैध दस्तावेज़ के रूप में और

ख) चयनित देशों तक मसाले और मसाले उतपादों के निर्यात को अनुमति देने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अंतिम जांच रिपोर्ट जिन्हें स्पाइसेस बोर्ड से अनिवार्य जांच एवं निर्बाधता आवश्यक है

अंतरिम एवं अंतिम जांच रिपोर्ट, दोनों की प्रामाणिकता रिपोर्ट में जोड दिए गए क्यू आर कोड स्कैन करके सत्यापित किया जा सकता है।

अंतरिम एवं अंतिम जांच रिपोर्ट दोनों संदर्भ के लिए संलग्न है।

बी.एन. झा

निदेशक(विपणन)

सेवा में,

पूरे भारत के सीमा शुल्क से संबंधित सभी आयुक्त/अधिकारी।

प्रतिलिपि:

1. मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातक/निर्यातक संघ।
2. श्री अरुण कुमार, उप निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
3. स्पाइसेस बोर्ड के सभी कार्यालय/गुणवता मूल्यंकन प्रयोगशालाएँ।

(फाइल सं: एस आर डी-एस एस/03/0002/2019 से जारी)